5473

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 182689

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
   (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औधोगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - ग्राम बयाना

4- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं0 08 के खसरा नं0 279

5- मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

विक्रय पत्र

909,296.00/	909,296.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000	
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री /श्रीमती मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवल0 प्रा0लि0 द्वारा सुखबीर सिंह
पुत्र / पत्नी श्री सरूप सिंह
पेशा नौकरी
निवासी स्थायी 33 कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 13/8/2009 समय 4:33PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रमाकान्त सिंह
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
13/8/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती कृष्णपाल
पुत्र/पत्नी श्री आसाराम
पेशा कृषि
निवासी ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद

क्रेता
श्री/श्रीमती मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवल0 प्रा0लि0 द्वारा सुखबीर सिंह
पुत्र/पत्नी श्री सरूप सिंह
पेशा नौकरी
निवासी 33 कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली

श्री/श्रीमती सोहनपाल
पुत्र/पत्नी श्री आसाराम
पेशा कृषि
निवासी ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद

श्री/श्रीमती अनिल कुमार
पुत्र/पत्नी श्री आसाराम
पेशा कृषि
निवासी ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 161008

6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.0845 हैक्टेयर

7- सडक की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक

8- अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) N.A

9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि

10. प्रतिफल की धनराशि 9,09,296/-रुपये

11- पेड कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नही है

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

CASHIER TREASURY GHAZIABAD
11 AUG 2009

ने निष्पादन स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री पवन कुमार
पुत्र श्री महासिंह
पेशा अन्य
निवासी ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद

व श्री रविन्द्र
पुत्र श्री गजराज सिंह
पेशा अन्य
निवासी ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

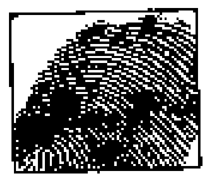

रमाकान्त सिंह
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
13/8/2009

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

INDIA

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD 13 AUG CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 183233

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (3) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण:-

1. नाम : कृष्णपाल
पिता का नाम : श्री आसाराम
स्थाई पता : ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
व्यवसाय :

2. नाम : सोहनपाल
पिता का नाम : श्री आसाराम
स्थाई पता : ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
व्यवसाय :

Kishanpal

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers P.

Authorised Sig

Sr. No. ____ Rs. ____
Add. in Stamp No. ____
13 AUG 2009
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

[illegible]

विक्रेता

Registration No 3473 Year : 2009 Book No. 1

0101 कृष्णपाल
आसाराम
ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद
कृषि

0102 सोहनपाल
आसाराम
ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद
कृषि

0103 अनिल कुमार
आसाराम
ग्राम महरौली परगना डासना गा बाद
कृषि

उप निबन्धक रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 426445

(4)

1. नाम : अनिल कुमार
पिता का नाम : श्री आसाराम
स्थाई पता : ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
व्यवसाय :

क्रेता का विवरण:-

1. नाम : मैसर्स उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री सुखबीर सिंह
पिता का नाम : श्री सरूप सिंह
स्थाई पता : 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कालौनी नई दिल्ली
व्यवसाय :

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. L

Authorised Signator

10 AUG 2009

CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

क्रेता

Registration No. 3473 Year : 2009 Book No. 1

0201 मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवल0 प्रा0लि0 द्वारा सुखवीर सिंह
स्वरूप सिंह
33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली
नौकरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रू.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 426444

(5)

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : 9,09,296/ रूपये ।

स्टाम्प पेपर अंकन : 63,700/ रूपये ।

हम कि कृष्णपाल व सोहनपाल व अनिल कुमार पुत्रगण श्री आसाराम निवासीगण-ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (फ़रीक अव्वल /विक्रेतागण) ।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. L

Authorised Signat

344
342
[illegible] 2009
2

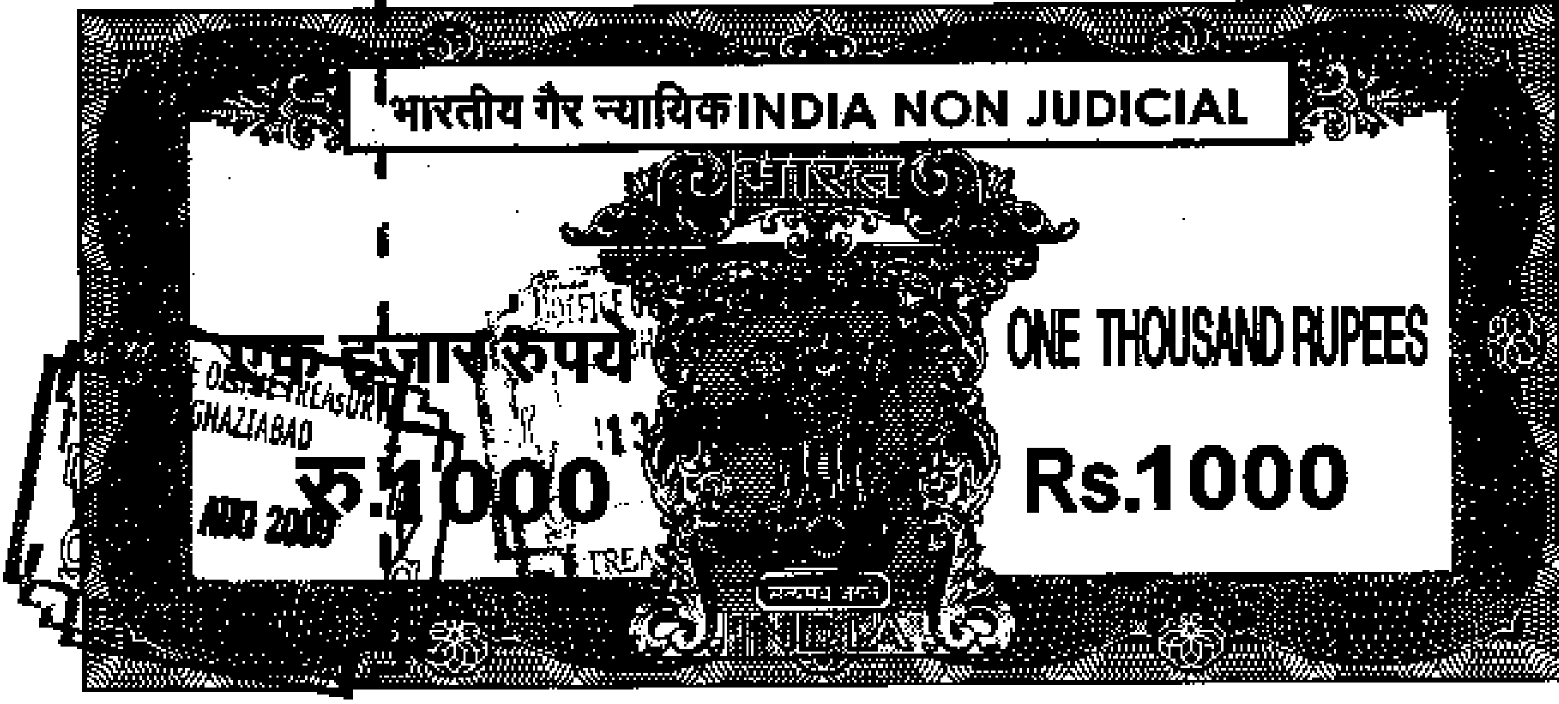

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 426443

(6)

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री सरूप सिंह, निवासी-33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/केता)

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt.

Authorised Signat

भारत INDIA

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY

13 AUG 2009

CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 914639

(7)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम ब्याना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 08 के खसरा नं0 279 रकबई 0.5070 हैक्टेयर का 1/6 भाग रकबई 0.0845 हैक्टेयर भाग के प्रथम पक्ष विक्रेतागण अनुसार खतौनी 1416-1421 फसली फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा मे विक्रय किया जा रहा है।

For Gopal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

Sr. No. .... Rs. ....
Add. In Stamp No. ....
13 AUG 2008
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

दफ्तर सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
* उत्तर प्रदेश *

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 MAR 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 428155

(8)

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। विक्रय भूमि के चारो ओर 200 मीटर से अधिक तक कृषि कार्य हो रहा है जिसका सरकारी सर्किल रेट 61,75,875/- रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रू0 1,07,60,869.56 प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 9,09,296/-रूपये (नौ लाख नौ हजार दो सौ छियानवें रूपये मात्र) मे तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

Sr. No

Add. in stamp No

13 AUG 2006

CASHIER

TREASURY GHAZIABAD

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD 13 AUG 2012 CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 428154

(3) विक्रेतागण अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति से नही है। विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नही है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

(4) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

For Gopal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि मे ग्रस्त नही है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का डयूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय मे कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित /उल्लिखित भूमि के संबध मे मुझ विक्रेतागण ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगे

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

(7) हम विक्रेतागण को विक्रय पत्र मे वर्णित उक्त खाता नं0 08 के खसरा नं0 279 रकबई 0.5070 हैक्टेयर का 1/6 भाग रकबई 0.0845 हैक्टेयर स्थित ग्राम ब्याना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद उसके अपने हिस्से के पूंण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णत: प्राप्त है। हम विक्रेतागण को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा हमें अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अत: हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्वि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेतागण को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नही रहा है आदि आदि को आज की तारीख मे विक्रय धनराशी अंकन-9,09,296/-रूपये (नौ लाख नौ हजार दो सौ छियानवें रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 4,54,648/-रूपये(चार लाख चव्वन हजार छ: सौ अड़तालीस रूपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता मैसर्स उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री सरूप सिंह, निवासी-33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

चयन आयोग इलाहाबाद

है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णत: मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेतागण, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते है, हम फरीक अव्वल को कोइ एतराज नही होगा ।

(10) अत: अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण का, अब कोई संबध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा ।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

राजस्व परिषद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेतागण की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेतागण के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेतागण की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेतागण व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेतागण व विक्रेतागण वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेतागण को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है। क्रेता कम्पनी का पेन नं0 AAACU7200M है ।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

दफ्तर सब रजिस्ट्रार

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि रकबई 0.0845 हैक्टेयर, खाता नं0 08 के खसरा नं0 279 स्थित ग्राम ब्याना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) एक्सेस बैंक लि0 अम्बेडकर रोड नेहरू नगर गाजियाबाद ब्रान्च चैक नम्बर 144191 अंकन-3,03,098/-रूपये (तीन लाख तीन हजार अट्ठानवें रूपये मात्र) व चैक नम्बर 144194 अंकन-3,03,099/-रूपये (तीन लाख तीन हजार निन्यानवें रूपये मात्र) व चैक नम्बर 144193 अंकन-3,03,099/-रूपये (तीन लाख तीन हजार निन्यानवें रूपये मात्र)

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

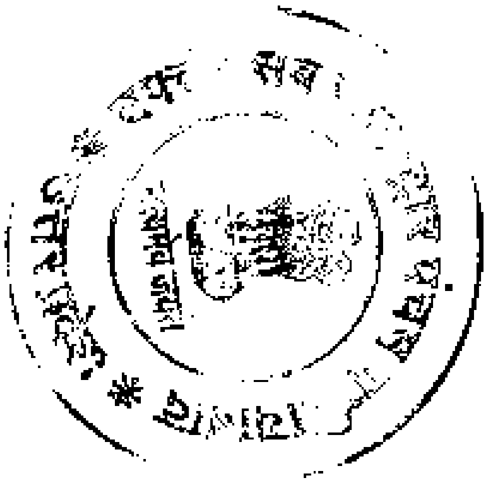

दिनांकित 13-08-2009 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये हैं।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

For Uppal Chadha Hi-tech Developers Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2

तहरीर दिनांक : 10.08.2009 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0 पी0 588/92 चैम्बर नं0 297 सिविल कोर्ट गाजियाबाद ।

आज दिनांक 13/08/2009 को

बही सं 1 जिल्द सं 2243

पृष्ठ सं 331 से 346 पर कमांक 3473

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रमाकान्त सिंह
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
13/8/2009

जिला .... बाबत साल

13	14	15	17

हस्ताक्षर.......................................

गवाह नं0 3

गवाही देने वाले का नाम.......................................

पिता का नाम.......................................

निवासी ग्राम.......................................

पोस्ट.......................................

D:/Backup/backup/Ginji sir/Banama jaanch

जिला.......................................

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

[illegible] बैंक

[illegible]

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी/प्रार्थी गण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या ...[illegible]... खसरा नम्बर ...[illegible]... रकबा ...[illegible]... स्थित ग्राम ...[illegible]... परगना ...[illegible]... व तहसील ...[illegible]... जिला ...[illegible]... मै० उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि० ....। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि को बेचा है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

[illegible handwritten names]

[illegible handwritten note]

वरिष्ठ प्रबंधक

[illegible] बैंक लि०

शाखा [illegible]

क्रमांक सं. 43521

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट - जनसुविधा केन्द्र

जनपद : गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला	गाजियाबाद
तहसील	सदर
आवेदन क्र०	009/Caste09/CC19059
प्रमाणपत्र क्र०	090209307067

जारी दिनांक: 18/08/2009

प्रमाणित किया जाता है कि	श्री कृष्ण पाल
पुत्र/पुत्री	श्री आशा राम
निवासी	9/196 ,चिरंजीव बिहार सै 9
ग्राम	
तहसील	सदर
जिला	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की जाट जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण पाल पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |

जारी कर्ता केन्द्र: सी. एस. सी. केन्द्र
पद: केन्द्र प्रभारी
स्थान : सदर,गाजियाबाद
दिनाँक:
हस्ताक्षर एंव मुहर

Vinay Pandey (Digitally Signed by Vinay Pandey)

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर,गाजियाबाद
दिनाँक: 18/08/2009

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है।
सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाण पत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

क्रमांक सं. 43522

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट - जनसुविधा केन्द्र जनपद : गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला	गाजियाबाद	जारी दिनांक: 18/08/2009
तहसील	सदर	
आवेदन क्र०	009/Caste09/CC19060	
प्रमाणपत्र क्र०	090209307066	

प्रमाणित किया जाता है कि	श्री अनिल कुमार
पुत्र/पुत्री	श्री आशा राम
निवासी	9/161 चिरंजीव विहार सै 9
ग्राम	
तहसील	सदर
जिला	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की जाट जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम २००२ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

जारी कर्ता केन्द्र: सी. एस. सी. केन्द्र
पद: केन्द्र प्रभारी
स्थान : सदर,गाजियाबाद
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मुहर

Vinay Pandey

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर,गाजियाबाद
दिनांक: 18/08/2009

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है।
सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाण पत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

क्रमांक सं. 43523

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट - जनसुविधा केन्द्र

जनपद : गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गाजियाबाद
तहसील सदर
आवेदन क्र० 009/Caste09/CC19061
प्रमाणपत्र क्र० 090209307068

जारी दिनांक: 18/08/2009

प्रमाणित किया जाता है कि	श्री सोहन पाल
पुत्र/पुत्री	श्री आशा राम
निवासी	9/197, चिरंजीव विहार सै 9
ग्राम	
तहसील	सदर
जिला	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की जाट जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री सोहन पाल पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

जारी कर्ता केन्द्र: सी. एस. सी. केन्द्र
पद: केन्द्र प्रभारी
स्थान : सदर, गाजियाबाद
दिनांक:
हस्ताक्षर एंव मुहर

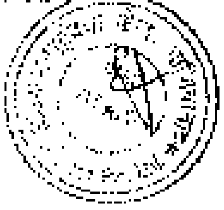

Vinay Pandey

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर, गाजियाबाद
दिनांक: 18/08/2009

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है।
सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाण पत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

FORM No. 29

(RULE 827)

CERTIFICATE OF SEARCH

Certificate No. 175 of 2009

Application No. 177 of 2009

Shri रणजीत स्वरूप here applied to me for a Certificate

[illegible] particular of registered act & encumbrances if any in respect the undermentioned

खाता नं० 9 खसरा नं० 279 रकबा 0.5070 हे०।

स्थित ग्राम कमाना परग० शासनी अलीगढ़

(To be seats & described as given in the application)

I hereby certify that search has been made in book 1 and in the annexed [illegible] there to from the year 5-8-2000 to the year 1-8-2009 for facts and encumbrances effecient the said property and that on such the following facts and encumbrances appears :- [illegible]

Sl. No	(a) Description of the Property is given in the document	Date of [illegible]	Tenure & Value of document	Name of the parties Execution Carried	Reference No. Year

उपरोक्त विवरण के अनुसार [illegible] सम्पत्ति पर कोई भार नहीं मिला।

~~I also certify that [illegible] acts and encumbrances [illegible] prepared have been found~~

prepared by

Office S.R.O. अलीगढ़

Date 12-8-2009

(Signature)

(Description)

Signature

SEAL

NOTES

1. The acts and encumbrance shown in this Certificate are those [illegible] to the described in registered document in manner different [illegible] applicant has described those transactions evidenced by such document [illegible] the certificate.
2. The require search has been made as carefully as possible [illegible] not be any account holy in self responsible for errors in the [illegible] the certificate.
3. This certificate does not include document if any which has [illegible]

TO WHOM IT MAY CONCERN

LEGAL OPINION CUM SEARCH REPORT

Dear Sir,

have examined the documents (Khasra, Khatauni and Search Certificate) and old revenue records available regarding the property given below and on basis of documents provided by you, I have prepared a detail report in respect of the property mentioned here in below:-

Sl.No.	Particulars	Response
1	Name and Address of the owner/s	***Krishna Pal, Sohan Pal, Anil Kumar sons of Asharam*** resident of Vill-Mahrauli, Pargana- Dasna, Tehsil & Distt.-Ghaziabad.
2.	Respective shares	***1/6 share in the property.***
3.	Detail of the property to be acquired	Khata No. 8, Khasra No. 279 area 0.507 Hect, situated at Vill- Bayana, Pargana- Dasna, Tehsil & Distt- Ghaziabad ***Sold Area-0.0845 Hect.***
4.	Category of tenure holder	Tenure holder has transferable right.
5.	Caste	Backward
6.	(i) Charges or lien over the property by Bank etc.	According to khatauni no charges or lien found over the share of seller.
7.	(ii) Whether NOC/No dues for transfer of land is required (from Mortgaged Bank/ financer/Money Lender, if any)	No Dues Certificate from U.P. Sahakari Gram Vikas bank Ltd. is annexed.
8	Details of Register search in the office of Sub-Registrar.	As per Search Certificate form sub registrar bearing no. 175/09, no encumbrance found on the property
9	Revenue records inspected during investigation:	1) C.H-45 2) Khatauni of fasli year 1384-1389 3) Khatauni of fasli year 1390-1395 4) Khatauni of fasli year 1402-1407 5) Khatauni of fasli year 1408-1413 6) Khatauni of fasli year 1414-1419

Document	Name endorsed	Khasra No.	Khata No.	Comments/Order
CH-45	Kanahiya lal son of Ram prasad	279	20	Recorded as Bhumidhar
Khatauni fasli year 1384-1389	Kanahiya lal son of Ram prasad	279	20	Vide order dated 20.01.75 passed by ACO, in khasra no. 279 the name of purchasers Asharam, Gajraj & Sukhveer sons of khechedu is mutated in place of Kanahiya lal son of Ram prasad through sale deed.
Khatauni fasli year 1390-1395	Asharam, Gajraj & Sukhveer sons of khechedu	279	12	....
Khatauni fasli year 1402-1407	Asharam, Gajraj & Sukhveer sons of khechedu	279	11	....
Khatauni fasli year 1408-1413	Asharam, Gajraj & Sukhveer sons of khechedu	279	12	....
Khatauni fasli year 1414-1419	Asharam, Gajraj & Sukhveer sons of khechedu	279	8	Vide order dated 07.01.2009 passed by RI after the death of Asharam son of Khechedu, the names of Sohanpal, Anil Kumar Viresh Kumar sons of Asharam, Ratni w/o Asharam, Veersen & Bhagwati (daughter in law) son and wife of Bijendra are endorsed as his legal heirs. Vide order dated 22.07.09 passed by Tehsildar in case no. 1302 u/s 34 Krishna Pal Vs Asharam, the order dated 07.01.2009 passed by RI is set aside and after the death of Asharam son of Khechedu, the names of ***Krishna pal, Sohanpal, Anil Kumar***, Viresh Kumar sons of Asharam, Ratni w/o Asharam, ***Veersen & Bhagwati (daughter in law) son and wife of Bijendra*** are endorsed as his legal heirs.

10	Specific comments	***Sellers have 1/6 share in property and they have sold their full share of Khasra no. 279.*** *** The name of Krishna Pal son of Asharam is added afterwards vide order dated 22.07.2009.***
11	Remarks:	On the basis of the document and records available, the name of the aforesaid owner/s is endorsed in the revenue records and title chain is complete. Seller/s has/have clear, marketable and transferable rights.

Date :

For-JURIX-PRO

(Benkat Raman Singh)
Advocate